उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

का

137 वां प्रतिवेदन

[यह प्रतिवेदन समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, औद्योगिक विकास, माध्यमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ तथा पशुधन विभागों के वर्ष 1983 से 2015 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है।]

(दिनांक 24 फरवरी, 2016 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

समिति (सामान्य) अनुभाग-2

विषय-सूची

क्रम-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
1	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2010-2011) के सदस्यों की सूची ...	क
2	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2012-2013) के सदस्यों की सूची ...	ख
3	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2013-2014) के सदस्यों की सूची ...	ग
4	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2014-2015) के सदस्यों की सूची ...	घ
5	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2015-2016) के सदस्यों की सूची ...	ङ
6	उपस्थापन	ञ
7	प्रतिवेदन	1-78

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2010-2011) के सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री जगपाल	सहारनपुर	सदस्य
3	श्री मधुसूदन शर्मा	आगरा	सदस्य
4	पंडित आर0 के0 शर्मा	बरेली	सदस्य
5	श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू	सहारनपुर	सदस्य
6	श्री शीशराम	बिजनौर	सदस्य
7	श्री मो0 ताबिस खान	सन्तकबीर नगर	सदस्य
8	श्री निर्मल वर्मा	सीतापुर	सदस्य
9	श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)	सुल्तानपुर	सदस्य
10	श्री आदित्य पाण्डेय	फतेहपुर	सदस्य
11	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	सीतापुर	सदस्य
12	श्री आरिफ अनवर हाशिमी (गोण्डा)	बलरामपुर	सदस्य
13	श्री जोखू लाल यादव	इलाहाबाद	सदस्य
14	डा0 राजेन्द्र सिंह	आगरा	सदस्य
15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य

<u>विधान सभा के अधिकारीगण</u>

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिन्हा	विशेष सचिव (प्रथम)
3-श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा	उप सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2659/वि0स0/प0का0/16(प)/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा समिति का गठन हुआ।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2012-2013) के सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
13	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
15	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	उप सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-1523/वि0स0/प0का0/14(प)/2012, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा समिति का गठन हुआ।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2013-2014) के सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
***7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
*13	श्री बावन सिंह	गोण्डा	सदस्य
**14	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
16	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री श्री चन्द्र पाल लाल	संयुक्त सचिव
4-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव
5-श्री लल्लू राम विश्वकर्मा	अनु सचिव

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2582/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2714/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा विधान सभा की लोक लेखा समिति के रिक्त पद पर श्री बावन सिंह (पूर्व सदस्य, आश्वासन समिति) को नाम-निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप एक पद रिक्त हो गया।

** पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2715/वि0स0/प0का0/07(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा श्री मनीष असीजा को आश्वासन समिति के एक रिक्त पद पर सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किया गया।

*** पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-17/वि0स0/पटल/18(प)/2012, दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा श्री दीपक कुमार की मृत्यु की सूचना के फलस्वरूप दिनांक 24 जनवरी, 2014 से एक पद रिक्त हो गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2014-2015) के सदस्यों की उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
7	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
*14	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2222/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2438/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-2016) के सदस्यों की सूची

क्र0 सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री रामचन्द्र चौधरी	सुल्तानपुर	सदस्य
7	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	संत कबीर नगर	सदस्य
8	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
14	ठा0 दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य
*15	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव.

नोट :- पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-1962/वि0स0/प0का0/14(प)/2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2003/वि0स0/प0का0/10(प)/2015, दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आलमबदी, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

उपस्थापन

उपस्थापन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 137वां प्रतिवेदन चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, नियुक्ति, लोक निर्माण, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, संसदीय कार्य, समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा तथा राजस्व विभागों से सम्बन्धित है और जिसे समिति ने अपनी दिनांक .... की बैठक में अंगीकार किया है, प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन 169 आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है, जो वर्ष 1983 से 2015 तक की अवधि में शासन द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर समिति ने दिनांक 15-06-2011 से 05-08-2015 के मध्य अपनी बैठकों में विचार किया तथा शासन द्वारा आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण एवं विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त सन्तोष व्यक्त करते हुये आश्वासनों को पूर्ण माना है अथवा शासन द्वारा की गई कार्यवाही को सन्तोषजनक मानकर उन्हें जारी न रखने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि के उन लम्बित आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन पर शासन के उत्तर से समिति संतुष्ट नहीं है और उन्हें पूर्ण नहीं माना है।

समिति इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 2015

सतीश महाना,
सभापति,
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 137वां प्रतिवेदन वर्ष 1983 से 2015 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने दिनांक 15-06-2015 से 05-08-2015 के मध्य अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया तथा जिनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। उक्त सूची में उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही से समिति संतुष्ट है और उन पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार करना आवश्यक नहीं समझा है।

आश्वासन संख्या	तिथि, प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम तथा विषय	आश्वासन	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
523/89 सम्बद्ध 335/94	10-3-89 : अतारां0-54 श्री रामचन्द्र वर्मा- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित हरिजन छात्रावासों में एवं विमुक्त जाति छात्रावासों में कार्यरत रसोइयों के मानदेयों में असमानता।	परीक्षणाधीन है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मानदेय रु0 150/- के स्थान पर रु0 1425/-, रु0 100/- के स्थान पर रु0 750/- कर दिया तथा पुस्तकालय अधीक्षक रु0 50/- के स्थान पर रु0 500/- कर दिया। अधीक्षक को रु0 50/- के स्थान पर रु0 500/- प्रतिमाह देने पर सहमति हो गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त या0 सं0-523/89 व 335/94 को ड्राप।
		समाज कल्याण-3	
1332/2001	30-5-01 : अतारां0-6 श्री राजाराम पाल- गबन के आरोप में पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 15 जनवरी, 2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई है और उसकी विवेचना भी हो गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
1340/2001	30-5-01 : अतारां0-27 श्री राजाराम पाल- दोषी पाये गये विद्यालयों एवं अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलित है।	दि0 30-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी लोगों के खिलाफ एवं विद्यालय के प्रबन्धक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। जिसमें से कुछ लोग सर्विस के दौरान बहाल कर दिये गये हैं तथा कुछ लोग सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। कुछ के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि विभाग जो उचित समझे उसके अनुसार कार्यवाही करे।
		समाज कल्याण-3	
1345/2001	30-5-01 : अतारां0-35 श्री श्रीराम पाल- प्रश्नगत प्रकरण में दोषी अधिकारी, कर्मचारी तथा सत्यापनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही।	जी हां।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री रामसेवक पाल, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के वेतन से रु0 2000/- की वसूली के आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा दूसरी दोषी श्रीमती सियावली पाल, स्वास्थ्य कार्यकत्री को कठोर चेतावनी दी जा चुकी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-2

79/2002	14-8-02 : तारां0-5 श्री राम करन आर्य- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु दशमू छात्रवृत्ति की दरों में विचाराधीन वृद्धि के प्रस्ताव पर शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दि0 15 जनवरी, 2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कक्षा-9 व 10 की छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि कर दी गई है। कक्षा-1 से 8 के सम्बन्ध में शासन ने विचार किया। परन्तु वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-3

84/2002	14-8-02 : अतारां0-24 श्री राम करन आर्य- जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2000-2001, 2001-2002 में कतिपय विद्यालयों में छात्रवृत्ति न दिये जाने हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही हेतु लिखा गया है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2000-01 के 192 विद्यालयों तथा 2001-02 में 160 विद्यालयों के सम्बन्ध में विस्तृत सूची विद्यालयवार उपलब्ध कराई गई है। स्कालरशिप का वितरण न किये जाने के लिये दोषी विद्यालयों के प्रिंसिपलों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने हेतु दण्डित किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
96/2002	14-8-02 : अतारां0-71 श्री राम बिशुन आजाद- जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद गोण्डा में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को उच्चीकृत कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
106/2002	14-8-02 : अतारां0-120 श्री बादशाह सिंह व श्रीमती माया प्रसाद- गोरखपुर मण्डल में जारी जाति प्रमाण-पत्रों के प्रकरण की जांच।	जांच की कार्यवाही चल रही है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मोहर सिंह पुत्र बुद्धन जाति गोंड को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 2-11-1995 तथा जिलाधिकारी, देवरिया के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया था। इसी व्यक्ति को पुनः पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसमें जांच हुई तथा जांच के बाद दिया गया सर्टीफिकेट निरस्त कर दिया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-3

212/2002	21-8-2002 : अतारां0-12 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू गंगा प्रसाद के नाम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोण्डा का नामकरण एवं उनकी स्मृति में मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-7-02 पर कार्यवाही।	परीक्षण कराया जा रहा है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आश्रम पद्धति के स्कूल का नामकरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम किये जाने की नीति नहीं रही है इसलिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गोण्डा का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू गंगा प्रसाद के नाम पर नहीं किया जा सकता है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-3

216/2002	21-8-2002 : अतारां0-28 श्री उदय राज- जूनियर माध्यमिक विद्यालय मिरीकला विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एस0डी0एम0 पुरवा, उन्नाव द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। जांच के पश्चात् कार्यवाही कर दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
218/2002	21-8-2002 : अतारां0-36 श्री शारदा नन्द अंचल- जनपद देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रा0 पाठशालाओं के अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान।	यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रा0 पाठशालाओं के अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
140/2003	10-12-2003 : तारां0-3 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रमों में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को भी प्रवेश शुल्क का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।	विचार करेंगे।	दि0 30-10-11 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग में यह सुविधा उन्हीं बच्चों को दी जाती है। जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		समाज कल्याण-3	
143/2003	10-12-2003 : अतारां0-12 श्रीमती विद्या चौधरी- विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना।	परीक्षण किया जा रहा है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण पूर्ण हो गया है और आगामी जुलाई माह से इसका संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
29/2004	11-2-2004 : अतारां0-14 डा0 पूर्णमासी देहाती- प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का निराकरण एवं हितों की रक्षा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-12-03 पर कार्यवाही।	आख्या प्राप्त की जा रही है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पत्र में उल्लिखित 7 बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त हो गई है। बिन्दु सं0-1 मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। बिन्दु सं0-2 आरक्षण का कार्य विभागीय प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है। बिन्दु सं0-3 में गोंड जाति की 7 उपजातियों की संस्तुति भारत सरकार को भेजे जाने का औचित्य नहीं पाया गया। बिन्दु सं0-4 में किसी अनुसूचित जाति का क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने अथवा हटाने का अधिकार भारत सरकार के कार्यक्षेत्र की सीमा में निहित है। बिन्दु सं0-5 में अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजनाओं के लिये अलग से जनजाति निदेशालय स्थापित है। बिन्दु सं0-6 में उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग पूर्व से गठित है। बिन्दु सं0-7 में उ0 प्र0 में जो जातियां अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत हैं। उन्हें सभी लाभ दिये जा रहे हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-1	
58/2004	12-2-2004 : नियम-51 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- डा0 भीमराव अम्बेडकर छात्रावास हजरतगंज, लखनऊ के छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।	जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच के उपरान्त श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह, छात्रावास अधीक्षक को लखनऊ से गाजियाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-3	
109/2005	23-2-05 अतारां0-26 श्री राम करन आर्य- जनपद बस्ती में अनुसूचित जाति के छात्रावासों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि छात्रावासों की मरम्मत के लिये 25.96 लाख रुपये दे दिये गये हैं और मरम्मत का कार्य भी कराया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		समाज कल्याण-2	
449/2005	20-7-05 : अतारां0-46 श्री रामहेत भारती- जनपद सीतापुर की तहसीलों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत विधवाओं के अनुदान फार्मों को बिना जांच एवं सत्यापन के खारिज किये जाने की जांच।	जांच करायी जा रही है।	दि0 30-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें जांच कराई गई थी तथा उसकी लिस्ट भी जिलाधिकारी ने दे दी है। जो अपात्र पाये गये हैं उसकी लिस्ट सही है और जो निर्णय लिया गया था जिला स्तर पर वह सही था और उसकी सूचना भी लगा दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

समाज कल्याण-1

497/2005	26-7-05 : तारां0-1 श्री राम इकबाल सिंह- सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले कोचिंग सेन्टरों पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार करेंगे।	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जो छात्र-छात्रायें जिनके परिवार की आमदनी एक लाख वार्षिक से कम है उनके बच्चे आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेते हैं तो ऐसे बच्चों के लिये सरकार की ओर से 15 हजार रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से तीन विषयों के लिये दिया जाता है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया यह व्यवस्था एस0सी0/एस0टी0 तथा जनरल वर्ग के बच्चों के साथ ओ0बी0सी0 के छात्र-छात्राओं के लिये भी करने पर विचार किया जाय।

समाज कल्याण-3

745/2005	1-3-06 : अतारां0-9 श्री परमेश्वर दयाल- जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार।	उपलब्धता पर निर्भर है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति के लिये अलग से आश्रम पद्धति विद्यालय बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर आश्रम पद्धति विद्यालय मौजूद हैं और उनमें अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		समाज कल्याण-3	
356A/07	6-12-07 : अतारां0-148 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ में गोंड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के पत्र संख्या-ग-3/568205 दिनांक 8-8-07 पर कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसके अन्दर जो भी कठिनाई थी, वह दूर हो गई है। अब गोंड़ जाति को जांचोपरान्त नियमानुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि प्रदेश में अन्य स्थानों पर जहां गोंड़ जाति के लोग रहते हैं जांचोपरान्त नियमानुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय।
		समाज कल्याण-	
134/08	27-2-08 : नियम-56 श्री दुर्गा प्रसाद यादव- जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2007 में पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों को शादी हेतु अनुदान राशि दिलाया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 31-10-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2007-08 में इस योजना के अन्तर्गत 14.80 लाख की धनराशि आजमगढ़ को उपलब्ध कराई गई थी जिससे 148 लोग लाभान्वित हुये। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		समाज कल्याण-3	
288/2010	12-8-2010 : अतारां0-103 श्री सर्वेश कुमार सिंह उर्फ सीपू- जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति व सामान्य जाति की गरीब कन्याओं के विवाह हेतु वर्ष 2008-09 में अवशेष पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	दि0 15 जनवरी, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जितने भी पात्र लाभार्थी पाये गये उनको शादी अनुदान का लाभ दे दिया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास (नगर विकास-5 से)	
977/99	19-3-99 : तारां0-2 श्री जगदम्बिका पाल- प्रदेश में खारे पानी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में।	कार्य प्रगति पर है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी 612 बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-	
824/2000	17-5-2000 : नियम-51 श्री राम औतार शाक्य- सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जनपद मैनपुरी के मात्राकरण के अनुपालन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-1 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में यह तथ्य सामने आये कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। कार्य का अनुमोदन वर्ष 2000 में ले लिया गया तथा कार्य भी शासनादेशों के अनुरूप कराया गया है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ग्राम विकास-2	
139/2001	25-4-2000 : अतारां0-84 डा0 ज्ञानवती सिंह- फैजाबाद में डी0आर0डी0ए0 द्वारा विकास खण्ड सुहावल के गांव में लगने वाली बाजार में दुकानों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दुकानों के निर्माण में किये गये अनियमित व्यय के फलस्वरूप सुलभ इंटरनेशनल से रु0 87094.00 वसूल होना था जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कर ली गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-5	
473/2001	9-5-01 : अतारां0-47 श्री रामजग- जनपद आजमगढ़ के ग्राम डीह ब्लाक मेंहनगर में वर्ष 97-98, 98-99 तथा 99-2000 में स्वीकृत इन्दिरा आवास के निर्माण कार्य को पूरा कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अनियमितता के लिये दोषी श्री शिवचरन राम को परिनिन्दा का दण्ड तथा श्री इन्द्रासन प्रसाद की दो वेतन वृद्धि रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है। श्री राकेश सिंह ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा इनका निधन हो चुका है। उक्त 40 इन्दिरा आवास पूर्ण हो चुके हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		ग्राम विकास-4	
475/2001	9-5-01 : अतारां0-50 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा के मनकापुर विकास खण्ड वजीरगंज मनकापुर छपिया नवाबगंज में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूरा कराने के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा ने अपने पत्र दिनांक अक्टूबर, 2012 द्वारा यह अवगत कराया कि अन्य सभी योजनाओं से इन 7 अधूरे सम्पर्क मार्गों का कार्य पूरा करा दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-5	
480/2001	9-5-01 : अतारां0-82 श्री मुरलीधर- जनपद फतेहपुर के ग्राम पोली में पानी की टंकी के निर्माण कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	पूर्ण करा लिया जायेगा।	दि0 30-1 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पानी की टंकी का निर्माण हो गया है और उससे जलापूर्ति हो रही है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-4	
483/2001	9-5-01 : अतारां0-89 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-2-2000 के सम्बन्ध में की गई जांच में दोषी पाये गये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं पूर्व ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही।	आदेश दे दिया गया है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी दो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र पाल सिंह एवं श्री सत्यपाल सिंह से दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली उनके वेतन से करने के आदेश पारित किये गये हैं तथा रु0 18,356/ की वसूली करके जमा कर दी गई है। श्री जदुनाथ सिंह, पूर्व प्रधान से दुरुपयोग की धनराशि की वसूली हेतु आदेश दे दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ग्राम विकास-3	
487/2001	9-5-01 : अतारां0-100 श्री श्रीराम पाल- वि0खं0 कदौरा के ग्राम बरखेरा में एक कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 99-2000 में विधायक निधि से धनराशि की उपलब्धता के बाद भी निर्मित न कराये जाने की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही।	जांच करायी जा रही है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 4 पुलियों का निर्माण एवं खड़न्जा निर्माण/मरम्मत के कार्य की मजदूरी का भुगतान ग्राम निधि में जमा विधायक निधि की धनराशि से कर दिया गया था। इसके लिये पूर्व प्रधान तथा श्री राम स्वरूप, नलकूप चालक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को परिनिन्दित किया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-5	
490/2001	9-5-01 : अतारां0-114 श्री छोटे लाल गंगवार- प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-1-01 तथा 11-1-01 के सम्बन्ध में की गई जांच में पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	चेतावनी जारी की जा चुकी है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में 6 अपात्र लोगों के चयन को खण्ड विकास अधिकारी भटपुरा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। गलत चयन करने के लिये सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

ग्राम विकास-5

494/2001	9-5-01 : अतारां0-129 श्री दीपलाल भारती- जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा, नेबुआ नौरंगिया, रामकोला, भुजौली आदि ग्रामों के लिये शुद्ध पेयजल सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	योजनायें विरचित की जा रही है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा एवं नेबुआ नौरंगिया के कुछ ग्रामों में कुओं तथा हैण्डपम्पों के पानी में आयरन की मात्रा कुछ अधिक पाई गई। रामकोला से अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। कुछ गांवों में पेयजल योजना संचालित हैं लेकिन नेबुआ नौरंगिया गांव नहीं हैं। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि नेबुआ नौरंगिया में पानी की व्यवस्था न हो तो अवश्य करा दी जाये।

ग्राम विकास-5

510/2001	9-5-01 : अतारां0-171 श्री रामाधार सिंह- प्रश्नकर्ता के पत्र माह फरवरी, 2001 के साथ संलग्न श्री उदयवीर सिंह उप प्रधान एवं सदस्यगण ग्राम पंचायत ग्राम सभा ककरघटा हरदोई के पत्र पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि तीन में से 2 व्यक्ति अपात्र पाये गये थे। उनके स्थान पर दो पात्र व्यक्तियों का चयन करके उनको आवास दे दिये गये हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ग्राम विकास-5	
1327/2001	30-5-01 : तारां0-1 श्री गोरखनाथ पाण्डेय- मा0 विधायकों की सूची के अनुसार हैण्डपम्प लगाने, औरैया तथा अन्य वि0स0 क्षेत्रों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने तथा उक्त कार्य में भ्रष्ट पाये जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने एवं हैण्डपम्प लगाने हेतु एग्रो को भी अनुबन्धित करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि हैण्डपम्पों के लगने के एक वर्ष तक रख-रखाव का दायित्व जल निगम का होता है। एक वर्ष के बाद का रख-रखाव पंचायती राज महकमा करता है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि खराब नल को ठीक कराना या नल लगवाने का वह दो महीने के अन्दर कार्य पूर्ण कराकर समिति को अवगत करायें।
		ग्राम विकास	
1347/2001	30-5-01 : नियम-300 विधायक निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि क्योंकि विधायक निधि पहले से डेढ़ करोड़ हो गई हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		ग्राम विकास-5	
276/2002	26-8-02 : अतारां0-57 श्री दुर्गा प्रसाद यादव- जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तहबरपुर व आजमगढ़ शहर की खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का मरम्मत कराया जाना।	शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवा लिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-1	
355/2002	2-9-2002 : अतारां0-10 श्री जगदम्बिका पाल- ग्राम्य विकास विभाग के सहायक विकास अधिकारी, आर0 एस0 बी0 का नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ नाम परिवर्तित किये जाने की मांग कर रहे थे किन्तु बाद में उन्होंने स्वयं लिखकर दिया कि परिस्थिति बदलने के कारण वे अपनी मांग को परस्यू नहीं करना चाह रहे हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-5	
285/2004	2-8-2004 : अतारां0-79 श्री अमरजीत सिंह, जनसेवक- जनपद फतेहपुर के बिन्दकी में खराब हैण्डपम्प को ठीक कराया जाना।	ठीक करा दिया जायेगा।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से खराब 115 नग हैण्डपम्पों को रि-बोर का कार्य पूर्ण कराकर ठीक करा दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ग्राम विकास-3	
290/2005	14-3-2005 : अतारां0-77 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- जनपद रायबरेली में नवसृजित विकास खण्ड रोहनिया के भवन का निर्माण पूरा कराया जाना।	कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनिया का भवन निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		ग्राम विकास-3	
837/2005	27-3-06 : अतारां0-6 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई- विकास निधि से शिक्षा संस्थाओं के लिये अनुमन्य कम्प्यूटर की भांति मानसिक रूप से विकालांग तथा अन्धे, बहरे, गूंगे बच्चों के शिक्षण हेतु तत्सम्बन्धित आधुनिक यंत्र उपकरण खरीदने हेतु मद से धनराशि दिये जाने पर विचार किया जाना।	कार्यवाही की जाएगी।	दि0 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विकास निधि से शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य-दृश्य सामग्री एवं विकलांग के लिये कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दि0 27-7-2006 द्वारा किया जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

खाद्य एवं रसद-6

302/2008	20-8-08 : तारां0-3 डा0 राजेन्द्र सिंह- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले समस्त गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों के पुनर्सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश दि0 4-10-2008 द्वारा पुनर्सर्वेक्षण की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। समिति ने इस निर्देशन के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि यू0पी0 में सभी गरीबों को चिन्हित करा करके उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय।

खाद्य एवं रसद-6

140/2010	10-2-2010 : अतारां0-51 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में अभिलेखों में की गई हेरा-फेरी के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री ईदल प्रसाद, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, मनकापुर को विकास खण्ड बभनजोत स्थानान्तरित कर दिया तथा एक वार्षिक वेतनवृद्धि स्थाई रूप से रोक दी गई है। इस प्रकरण में दोषी सचिव एवं ग्राम प्रधान के विरुद्ध अन्तिम जांच में भूमि संरक्षण अधिकारी, गोण्डा की जांच आख्या में ग्राम प्रधान का कोई दोष नहीं पाया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		खाद्य एवं रसद-6	
145/2010	10-2-2010 : अतारां0-84 डा0 राजेन्द्र सिंह- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को दूर करने के लिये खाद्य सब्सिडी को सीधे कैश पेमेन्ट के रूप में लाभार्थियों को देने पर विचार।	विचाराधीन है।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद लखीमपुर खीरी एवं हरदोई में नकद सब्सिडी देने की पायलट योजना भारत सरकार के पास विचाराधीन है। प्रदेश सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		खाद्य एवं रसद-6	
271/2010	11-8-2010 : तारां0-3 श्री श्यामदेव राय चौधरी- प्रदेश में माफियाओं द्वारा मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जाती है।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि खाद्यान्न व अन्य सामग्री के उठान व वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिये मा0 सुप्रीम कोर्ट एवं केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुसार प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की चरणबद्ध कार्यवाही की जा रही है। मिट्टी के तेल के विपणन व लीकेज रोकने के लिये सभी सम्बन्धितों को शासनादेश दि0 10-9-2012 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि आम जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो जायं।

		खाद्य एवं रसद-6	
273/2010	11-8-2010 : अतारां0-149 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत अशरफपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान की बहाली की जांच।	जांच करायी जा रही है।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री अमरेश पुत्र श्री बाबूराम को उचित दर की दुकान आवंटित की गई थी। वह निरस्त हो गई। उनके द्वारा की गई अपील को मण्डलायुक्त के अन्तिम आदेश दि0 22-12-11 द्वारा निरस्त कर दी गई है। अब उनके स्थान पर दूसरे विक्रेता को नियुक्त कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		खाद्य एवं रसद-6	
274/2010	11-8-2010 : अतारां0-164 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत अशरफपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान के आवंटन की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांचोपरान्त दुकान निरस्त कर दी गई। श्री राम अचल पुत्र श्री राम स्वरूप को नया उचित दर विक्रेता नियुक्त कर दिया गया है। डी0एस0ओ0 के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि शेष उच्चाधिकारी को चेतावनी जरूर दी जानी चाहिए।
		खाद्य एवं रसद-6	
15/2011	09-2-2011 : अतारां0-180 श्री राम विशुन आजाद- ग्राम अशरफपुर क्षेत्र पंचायत मनकापुर में रिक्त राशन की दुकान का आवंटन।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन की प्रकृति तथा आ0सं0-274/2010 एक ही प्रकार के हैं। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि डी0एस0ओ0 से ऊपर के शेष उल्लिखित अधिकारियों को भी चेतावनी जरूर दी जानी चाहिये।

1	2	3	4
		खाद्य एवं रसद-3	
50/2012	6-6-2012 : अतारां0-71 श्री अखिलेश प्रताप सिंह- कृषि उपज विशेष कर खाद्यान्न के रखने के लिये प्रदेश में भण्डारण क्षमता की कमी को पूरा किये जाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।	निर्माण कार्य लक्षित है।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें मुख्य रोल भारत सरकार तथा एफ0सी0आई0 का है और राज्य सरकार की भूमिका केवल को-आर्डिनेशन की है। इसमें राज्य सरकार की अपने स्तर से नीतिगत निर्णय लेने की भूमिका नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		खाद्य एवं रसद-3	
170ए/2012	20-6-2012 : तारां0-3 डा0 धर्मपाल सिंह- प्रदेश में खाद्यान्न के भण्डारण के सम्बन्ध में।	प्रगति पर है।	दि0 7-2-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन की प्रकृति व आ0सं0-50/2012 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

खाद्य एवं रसद विभाग

329/2012	29-11-2012 : नियम-300 श्री सुरेश कुमार खन्ना- बी0पी0एल0 कार्ड जारी करने की तारीख बढ़ाये जाने हेतु मा0 सुरेश कुमार खन्ना स0वि0स0 की नियम-300 की सूचना पर कार्यवाही की मांग।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रकरण बी0पी0एल0 राशन कार्ड जारी किये जाने की तिथि बढ़ाये जाने से सम्बन्धित न होकर एक योजना विशेष के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त खाद्यान्न के वितरण से सम्बन्धित है और माह नवम्बर, 2012 के पश्चात् भारत सरकार से उक्त क्रम में कोई अतिरिक्त आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि वर्तमान बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को उसी कैटेगरी में रखा जाय, बी0पी0एल0 कार्ड समाप्त न किया जाय तथा वर्तमान में जो भी गरीबी रेखा चिन्हित की जाय उनका भी कार्ड मानक के अनुसार जारी रहना चाहिये।

खाद्य एवं रसद-6

340/2012	5-12-2012 : अतारां0-18 श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर की ग्राम सभा काकर कठा में राशन दुकान की खुली बैठक में प्रस्ताव न कराने विषयक शिकायती-पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी।	निर्देश खण्ड विकास अधिकारी मिर्जापुर को दिये गये हैं।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक पुनः में पारित प्रस्ताव के आधार पर उचित दर विक्रेता की नियुक्ति कर दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		खाद्य एवं रसद-6	
343/2012	5-12-2012 : अतारां0-23 श्री अखिलेश कुमार सिंह- प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की सरकार की योजना की जानकारी।	वितरण कराया जा रहा है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि केवल योजना की जानकारी पूछी गयी थी जोकि दे दी गयी है। इसमें अन्य कोई बिन्दु शेष नहीं है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		खाद्य एवं रसद-4	
357/2012	5-12-2012 : अतारां0-112 डा0 जय प्रकाश अंचल- जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बोहावर की उचित मूल्य की दुकान जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा निरस्त करने के बाद नई व्यवस्था कराने की मांग।	खण्ड विकास अधिकारी ब्रह्मपुर को दे दिये गये हैं।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उप जिलाधिकारी, चौरी-चौरा द्वारा विकास खण्ड ब्रह्मपुर की ग्राम पंचायत बोहापुर में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति कर दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप डेस्क इकाई

292/2013	20-9-2013 : अतारां0-150 श्री मुकेश श्रीवास्तव- उ0 प्र0 सचिवालय खान-पान निगम के समान उ0 प्र0 सचिवालय राज्य कर्मचारी को भी छठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।	छठा वेतनमान दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 15-10-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के नियमित कर्मचारियों को छठा वेतनमान शासनादेश दि0 25-2-2014 द्वारा दे दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण (राजस्व विभाग से)

449/1990	25-6-1990 : अतारां0-172 श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह- जिला शाहजहांपुर के ग्राम जल्लापुर से खण्डर तक भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।	कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्राम जल्लापुर खण्डर गढ़िया रंगीन मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है जिस पर वर्तमान में यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण (ग्राम्य विकास-4)

631/2000	10-5-2000 : अतारां0-62 श्री विनोद मणि- हरदोई के ब्लाक माधोगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन कुरसठ मजेहटा मार्ग तथा जालिहापुर से समुखा तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 28-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मार्ग के निर्माण के कार्य स्वीकृति दि0 23-12-11 में मिली और फरवरी, 2012 में टेण्डर किया गया। वर्तमान में पूर्ण लम्बाई 2.80 कि0मी0 में टापकोट स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लेपन कार्य मौसम अनुकूल होने पर अक्टूबर तक तथा अनुकूल न होने पर नवम्बर तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लोक निर्माण अनु0-1	
725/2001	15-5-2001 : अतारां0-61 श्री समरपाल सिंह, स0वि0स0-प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 24-8-2000 पर कार्यवाही।	गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	दि0 21-9-2010 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें सम्बन्धित राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिये 880 लाख स्वीकृति दे दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-	
774/2001	15-5-01 : नियम-56 कानपुर-झांसी राष्ट्रीय मार्ग-25 एवं उससे लगी हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें दो मार्ग एक हमीरपुर-कालपी मार्ग की मरम्मत में वर्ष 2011-12 तक सामान्य मरम्मत में रु0 357.44 लाख रुपये अवमुक्त किये तथा खर्च कर दिये गये। विशेष मरम्मत में वर्ष 2011-12 तक रु0 86.48 लाख रुपया मिला तथा रु0 86.56 लाख खर्च किया गया। दूसरा मार्ग कालपी से राठ की सामान्य मरम्मत में वर्ष 2011-12 तक 29.27 लाख रुपया मिला तथा व्यय किया गया। विशेष मरम्मत में वर्ष 2011-12 तक 19.35 लाख रुपया मिला और पूरा खर्च किया गया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-9

217/2005	3-3-05 : अतारां0-46 श्री राम इकबाल सिंह- जनपद बलिया के चिलकहर की डिहवा चडटी के पूरब विद्यालय होते हुए रामनाथ के पुरवा तक के मार्ग का निर्माण कराया जाना।	प्रचलित होने के कारण।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री ए0 एन0 मलिक, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध वसूली विषयक प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में सिविल सूट 223 दाखिल किया गया है जोकि दीवानी न्यायालय में लम्बित है। श्री मानव मोइत्रा ने भी रि-ओपेन आदेश को मा0 न्यायालय द्वारा स्थगित करा लिया गया है। सभी प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में, न्यायालय में लम्बित हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-6

618/2005	24-11-05 : अतारां0-67 डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा- जनपद जालौन के अन्तर्गत जालौन-औरैया मार्ग की तकनीकी जांच कराकर घटिया निर्माण के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध वसूली के लिये कार्यवाही मा0 न्यायालय में पेन्डिंग है। दो जे0ई0 के खिलाफ तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री ललित मोहन शर्मा द्वारा लापरवाही बरती गई। श्री शर्मा दि0 31-7-90 को सेवानिवृत्त हो गये। अतः समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि मा0 न्यायालय में शीघ्रातिशीघ्र पैरवी करके इसके निस्तारण का प्रयास करें।

1	2	3	4
		लोक निर्माण-6	
139/2007	11-7-07 : अतारां0-28 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद- जनपद बांदा में सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-6-07 पर जांच।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी 20 अधिकारियों में 18 के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 2 के सम्बन्ध में कार्यवाही करके आगामी बैठक से पूर्व करा दी जायेगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-12	
241/2007	31-10-07 : अतारा0- डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल- गोरखपुर महानगर में लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई द्वारा बनवायी गयी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत।	जी हां।	दि0 28-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गोरखपुर महानगर में लो0नि0वि0 के स्वामित्व की सड़कों की मरम्मत विभागीय डाट से करा दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लोक निर्माण-1	
64/2008	20-2-08 : अतारां0-21 डा0 अनिल चौधरी- जनपद मथुरा के मथुरा सादाबाद मार्ग के ग्राम झरौठा वाया गोढा होकर ग्राम दधैटा जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का जीर्णोद्धार/मरम्मत कराया जाना।	जी हां।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-11

217/2008	5-3-08 : अतारां0-21 श्री सनातन पाण्डेय- जनपद हरदोई के वि0ख0 भरखनी में गर्रा नदी पर बने सेतु के अप्रोच मार्ग का निर्माण तथा उक्त रोड के बहने के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि माडल स्टडी की रिपोर्ट 31-12-2008 को प्राप्त हो गई है उसके अनुसार कार्य माह फरवरी, 2012 में पूर्ण हो गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-11

304/2008	20-8-08 : अतारां0-2 श्री अब्दुल वारिस खां- जनपद मुजफ्फरनगर में शहर मुख्यालय पर जानसठ रोड नई मण्डी रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाना।	गठन किया जा रहा है।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उपरिगामी सेतु का कार्य दिसम्बर, 2010 में पूर्ण हो चुका है और यातायात हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

लोक निर्माण-4

138/2010	10-2-2010 : अतारां0-34 श्री संजय कपूर- लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकार के पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में।	जी हां।	दि0 28-9-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्त विभाग द्वारा कार्मिक विभाग से विचार-विमर्श के उपरान्त यह अन्तिम निर्णय लिया गया कि मानचित्रकार के पदों को समाप्त करने का औचित्य नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लोक निर्माण-1	
05/2011	9-2-2011 : अतारां0-52 डा0 आर0ए0 उस्मानी- जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पुही से मुल्लवे क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराया जाना।	प्रस्तावित है।	दि0 13-11-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लखीमपुर खीरी के ग्राम दुलही से मल्लवे क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य फरवरी, 2011 में पूर्ण कराया जा चुका है तथा यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन-1	
309/2008	20-8-08 : अतारां0-44 डा0 धर्मपाल सिंह- जनपद आगरा में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ताजमहल के पूर्वी गेट पर वैकल्पिक मार्ग बनवाने व परिचय-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 8-11-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वैकल्पिक मार्ग के निर्माण का कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा करा लिया गया है। डी0आई0जी0 द्वारा परिचय-पत्र जारी कर दिये गये हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास एवं शहरी नियोजन-1	
68/2010	3-2-2010 : अतारां0-87 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- आवास विकास परिषद् की विकास नगर योजना लखनऊ के भू-खण्ड संख्या-6/जे0एच0 1-4 पर मानकों के विरुद्ध कराये गये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रचलित है।	दि0 8-11-12 की बैठक के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शमन शुल्क जमा करके मानचित्रों को पारित करने योग्य बना दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

आवास एवं शहरी नियोजन-6

73/2010	3-2-2010 : अतारां0-156 श्री लाल जी यादव- लखनऊ विकास प्राधिकरण रतन खण्ड योजना के आवंटियों के प्लाटों के गड्ढों को भरने एवं पानी सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य प्रस्तावित है।	दि0 8-11-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि भू-खण्डों में गड्ढों की भराई का कार्य, विद्युतीकरण का कार्य और जलापूर्ति का कार्य पूर्ण हो गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

आवास एवं शहरी नियोजन-2

135/2010	10-2-2010 : अतारां0-26 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर योजना लखनऊ स्थित भू-खण्ड सं0-6/जी0एच0 1-4 पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 8-11-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन की प्रकृति तथा आ0सं0-68/2010 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		आवास एवं शहरी नियोजन-5	
150/2010	10-2-2010 : अतारां0-106 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल- प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों के लिये पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दि0 8-11-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये 2011 में पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है तथा पेंशन मिलना भी प्रारम्भ हो गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		आवास-1	
11/2011	9-2-2011 : अतारां0-130 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- लखनऊ जनपद के सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना का कार्यान्वयन।	सुनिश्चित कराया जायेगा।	दि0 8-11-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण सीमान्तर्गत 40 सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली स्थापित कराई जा चुकी है। यह सतत् प्रक्रिया है तथा यह जारी रहेगी। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि जितने विकास प्राधिकरण व नगर पालिकायें हैं उन सबमें यह व्यवस्था लागू करायें।
		महिला एवं बाल विकास-7	
1465/99	5-1-2000 : अतारां0-47 श्री भोलाशंकर मौर्य- श्री विजय विक्रम सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितता, गबन के सम्बन्ध में जांच एवं कार्यवाही।	साक्ष्य एकत्र किये जा रहे हैं।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री विजय विक्रम सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से रु0 1,15,574/- की वसूली की गई किन्तु ट्रिब्यूनल ने सात वर्ष बीत जाने के कारण उसको निरस्त कर दिया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

महिला एवं बाल विकास-1

184/2004	27-7-04 : अतारां0-13 श्री रवीन्द्र पुण्डीर- निदेशालय महिला कल्याण में तैनात आशुलिपिक राकेश पाण्डेय तथा वरिष्ठ शोध अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह, स0वि0स0 के पत्र दिनांक 14-11-03 पर कार्यवाही।	परीक्षणाधीन है।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री राकेश पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड दिया गया किन्तु शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त प्रविष्टि को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः शासन ने आश्वासन को ड्राप किया।

महिला एवं बाल विकास-1

35/2005	16-2-05 : अतारां0-35 श्री बादशाह सिंह- द्वितीय सत्र, 2004 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0-45 पर जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारी श्री राकेश पाण्डेय आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही।	आख्या प्रतीक्षित है।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आश्वासन सं0-184/2004 व आ0सं0-35/2004 एक ही प्रकृति के हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		महिला एवं बाल विकास-1	
191/2004	27-7-04 : अतारां0-39 श्रीमती विमला राकेश- महिला कल्याण विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति किया जाना।	विचार किया जायेगा।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चतुर्थ श्रेणी के अर्ह कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति कर दिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		महिला एवं बाल विकास-1	
186/2005	2-3-05 : अतारां0-10 डा0 सुशील चौधरी- श्री बाबूराम मिश्रा, लिपिक द्वारा वर्ष 1982-1985 तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति में की गई अनियमितताओं की जांच।	विचाराधीन है।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री बाबू राम मिश्रा को रिवर्ट करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

महिला एवं बाल विकास-2

341/2007	6-12-07 : अतारां0-17 श्री राम विशुन आजाद- जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2001 से 2006 तक सहायिका एवं कार्यकत्रियों की नियुक्ति में अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	निर्णय लिया जायेगा।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये गये श्री राज कुमार गुप्ता की मानदेय आधारित सेवायें समाप्त कर दी गई। श्री राम नरेश वर्मा बाल विकास अधिकारी (संविदा) अपट्रान इण्डिया लि0 में लागू वी0आर0एस0 के अन्तर्गत नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। सुश्री शशि प्रभा गांधी को गोण्डा के निदेशालय के आदेश सं0-6-7-2009 द्वारा रु0 45060/- की वसूली व प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए सेवा में बहाल कर जनपद फैजाबाद में तैनात किया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

महिला एवं बाल विकास-2

168/2010	11-2-2010 : अतारां0-32 श्री आरिफ अनवर हाशमी- जनपद गोण्डा व बलरामपुर में पैक्सफेड का कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं निर्माण न कराकर अन्य से निर्माण कार्य कराये जाने की जांच।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच आख्या में कार्यदायी संस्था पैक्सफेड स्वयं कार्य न कर विभाग में प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुसार सप्लायर एवं ठेकेदार से कराती है। इसलिये कोई अनियमितता का प्रश्न नहीं है। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		महिला एवं बाल विकास-1	
82/2011	17-2-2011 : अतारां0-95 श्री आरिफ अनवर हाशमी- जनपद बलरामपुर एवं गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2010-11 में लाभ से वंचित सभी विधवाओं को पेंशन दिलाया जाना।	जी हां।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद बलरामपुर में कुल 12469 तथा जनपद गोण्डा में 30260 पेंशन धारक थे जिन्हें निराश्रित पेंशन का लाभ दिया गया। वर्ष 2010-11 में 800 नवीन लाभार्थियों को मिलाकर कुल 31060 पेंशन धारकों को निराश्रित महिला पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		महिला एवं बाल विकास-1	
86/2011	17-2-2011 : अतारां0-141 श्री दीप नारायन सिंह- जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिया जाना।	लाभ दिया जायेगा।	दि0 28-6-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद झांसी के गरौठा में 3769 लाभार्थी तथा सत्यापन के पश्चात् के बाद 790 लाभार्थी अर्थात् कुल 4559 लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-3

666/98	15-7-98 : अतारां0-168 श्री जोखू लाल यादव- शारदा सहायक खण्ड 30 इलाहाबाद से सम्बद्ध रामपुर माइनर पर स्थित टेवली आदि गांवों के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा।	संदर्भित है।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 62 कृषकों के सापेक्ष 48 कृषकों का भुगतान किया जा चुका है। शेष कृषकों के लिये दैनिक जागरण में सूचना प्रकाशित कराई गई। कृषकों के घर नोटिस चस्पा की गई। अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी कृषकों से मिले लेकिन कोई भी किसान भू-प्रतिकर लेने नहीं आया। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया। जब भी किसान भू-प्रतिकर की मांग करे उनको भू-प्रतिकर दे दिया जाय।

सिंचाई-

1145/99	23-3-99 : वक्तव्य श्री उदयराज यादव- विकास खण्ड असोहा, उन्नाव के मध्य स्थित झील के पानी के निकासी की व्यवस्था।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 132वीं बैठक में स्वीकृत परियोजना के सरवन ताल झील के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 28.800 तक पूर्ण लम्बाई में ड्रेन का सुधार का कार्य कराकर समस्या का निदान कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-5	
1147/99	24-3-99 : तारां0-1 श्री गोरखनाथ पाण्डेय- जनपद सन्तरविदास नगर भदोही में नलकूपों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु अवमुक्त हुई धनराशि के फलस्वरूप भी कार्य न कराये जाने की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री एम0एल0 विश्वकर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, नलकूप अनुरक्षण खण्ड, भदोही को दि0 23-10-2000 को परिनिन्दा प्रविष्टि दी जा चुकी है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-10	
1175/99	24-3-99 : अतारां0-91 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- लघु डाल नहर शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार की जांच।	जांच की जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जांच आख्या में शिकायती-पत्र अंकित सभी शिकायतें निराधार पाये जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र दि0 8-2-2000 द्वारा प्रकरण को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		सिंचाई-	
962/2001	18-5-01 : बजट चर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ के प्रभाव से मुक्त कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि यह सतत प्रक्रिया है और विभाग इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। समिति ने इस आशय के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि किसानों को पानी मिल जाय, टेल तक पानी पहुंच जाय और अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाय।
		सिंचाई-4	
1230/2001	29-5-01 : अल्पसू0ता0प्रश्न श्री गोरखनाथ पाण्डेय- वर्षा के जल संचय हेतु बनायी गई परियोजनाओं के क्रियावयन के सम्बन्ध में।	परीक्षण किया जा रहा है।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा रु0 0500.00 करोड़ का परिव्यय जल संचयी योजनाओं हेतु अनुमोदित किया है जिसकी विस्तृत योजनायें विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि भविष्य में जब भी सिंचाई विभाग इस पर चिंतन करे इस बात का भी ध्यान रखे कि हमें इसका अपेक्षित परिणाम भी देना है।
		सिंचाई-5	
1281/2001	29-5-01 : अतारां0-120 श्री मूलचन्द्र- बाढ़ की सुरक्षा से प्रश्नगत ग्रामों को बचाने हेतु प्रारम्भ कराये जा रहे कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।	कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि योजनाओं के लिये जो भी धन निर्धारित था वह पूर्ण करा लिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-4	
1284/2001	29-5-01 : अतारां0-133 श्री राम औतार शाक्य- प्रश्नगत स्थानों की टूटी पुलियों का वर्ष 2001-2002 तक पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	करा दिया जायेगा।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि महदेवा माइनर व भोगांव राजवाहे की टूटी पुलियों को माह जून/जुलाई, 2001 में बनवा दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-4	
368/2002	03-9-2002 : तारां0-1 श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, स0वि0स0- बिना पड़ताल के किसानों से बिना खेत सीचें सिंचाई शुल्क लेने की जांच।	जांच करायी जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि उस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पड़ताल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतएव सिंचाई विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का बिना पड़ताल के किसानों से खेत सीचें सिंचाई शुल्क वसूल करने का उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-	
71/2004	13-2-04 : नियम-51 श्री कुंवर भारतेन्दु सिंह- जनपद बिजनौर में राजाराम पुर से रावती तक नदी की कटान को रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि परियोजना में प्रस्तावित कुल 11 बोल्डर स्टड् का कार्य वर्ष 2005-06 में पूर्ण कर लिया गया है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-4

99/2006	14-9-06 : नियम-51 श्री हुकुम सिंह- प्रोजेक्ट कार्पोरेशन को पुर्नस्थापना की मद में आवंटित बजट के मामले में जांच।	जांच की जायेगी।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि टेलो पर पानी पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन का सहयोग लेकर युद्धस्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। 2005-06 में 15 अगस्त, 2005 तक सींच की प्रगति 1326.26 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध 1346.00 हजार हेक्टेयर हो चुकी है। 27988 राजकीय नलकूपों में से खराब नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है। नहरों की सफाई के लिये प्रोजेक्ट कारपोरेशन को कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-5

136/2007	11-7-07 : अतारां0-8 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में खराब नलकूपों को रिबोर कराया जाना।	विचार किया जायेगा।	दि0 10-10-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भावलखेड़ा में सब कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा नलकूप चालू कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		औद्योगिक विकास विभाग (लघु उद्योग-4 8-2-2013)	
2/2001	22-3-01 : तारां0-6 श्री गोरखनाथ पाण्डेय- संतरविदासनगर भदोही में कालीन उद्योग को एस0ई0 जेड के अनुसार समस्त सुविधायें प्रदान करने तथा अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	सुनिश्चित किया जायेगा।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद सन्तरविदासनगर भदोही, में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना के लिये पांच ग्रामों की 514.059 एकड़ निजी कृषक भूमि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर द्वारा जिलाधिकारी संतरविदासनगर भदोही के माध्यम से अर्जित कराई गई है जिसके लिये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें पचास प्रतिशत काम भी हो चुका है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर हमारे कालीनों की मांग बढ़े इस दिशा में शार्ट टर्म या लांग टर्म की पालिसी बनायी जाय।
		औद्योगिक विकास	
551/2001	10-5-01 : नियम-56 सीतापुर एवं बुलन्दशहर की कताई मिलों के विक्रय से प्राप्त धनराशि से वी0आर0एस0 लागू किये जाने का प्रस्ताव।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सीतापुर और बुलन्दशहर की कताई मिलों के पात्र कार्मिकों को वी0आर0एस0 की धनराशि का वितरण कर दिया गया है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

औद्योगिक विकास-4

704/2001	15-5-2001 : अतारां0-9 श्री नवाब सिंह नागर- नोएडा ग्रामीण आबादी भूमि व्यवस्था विनियमावली, 2000 को अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नोएडा ग्रामीण आबादी भूमि व्यवस्था विनियमावली, 2000 दि0 22 जून, 2006 को अधिसूचित की जा चुकी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

औद्योगिक विकास

1311/2001	29-5-01 : बजट भाषण उच्च स्तरीय निवेश टास्क फोर्स के द्वारा प्रदेश में उद्योगों को गतिमान देने हेतु उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल एजेन्सी बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिये उद्योग बंधु को नोडल एजेन्सी बनाये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद् की दि0 7-5-13 की बैठक में लिया गया है। निवेश सम्बन्धी स्थलों की अवस्थापना, सुविधाओं की स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाओं तथा नीतियों की जानकारी हेतु ई-गर्वनेस के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा दी जायेगी। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		औद्योगिक विकास-2	
1316/2001	29-5-01 : बजट चर्चा राजकीय मुद्रणालय के कार्यों में कुशलता एवं सुदृढ़ता लाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विभाग का आधुनिकीकरण 10वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ हुआ जिसमें रु0 1350.64 लाख तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में रु0 1109.50 लाख व्यय हुआ। जिसमें आधुनिक मशीनों का क्रय हुआ। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		औद्योगिक विकास-6	
86/2002	14-8-02 : अतारां0-29 कुं0 रेवती रमण सिंह- क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में उद्योग लगाने सम्बन्धी विचाराधीन योजना को पूर्ण करने की कार्यवाही।	कार्यवाही करायी जा रही है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा दि0 4-9-2012 को अनुमोदित की जा चुकी है। इसमें पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा मध्यांचल के ज्यादा पिछड़े क्षेत्र को विशेष सुविधा दी गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

औद्योगिक विकास-6

118/2003	9-12-03 : अल्प0तारां0-2 श्री घनश्याम शुक्ला- बन्द पड़े छोटे उद्योगों को चलाने हेतु कार्य योजना का बनाया जाना।	योजना चलायी जा रही है।	दि0 29-10-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कार्ययोजना के सम्बन्ध में वर्ष 2004 व 2012 में एक नई निवेश नीति आ चुकी है। छोटे बन्द उद्योगों के पुर्नवासन के लिये नीति में पूर्ण रूप से समावेश किया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-7

523/94	22-8-94 : अतारां0-15 श्री नन्दलाल सिंह पटेल- अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता।	जी हां।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री भद्र नारायण शर्मा जो बोर्ड के सचिव थे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के मामले को पत्र दि0 29 सितम्बर, 1992 द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। श्री शर्मा दि0 30-9-97 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा सम्बन्धित पत्रावली भी वीड आउट की जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		शिक्षा अनु0-12	
215/95	31-7-15 : तारां0-8 डा0 रामचन्द्र लाम्बा, स0वि0स0- श्री सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में प्रबन्धकतंत्र द्वारा आरक्षित पदों पर नियुक्ति न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही।	जी हां।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि प्रबन्धतंत्र के द्वारा आरक्षित पदों के सापेक्ष की गई अनियमित नियुक्तियों को ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गई। किन्तु प्रार्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई तथा स्टे मिल जाने के कारण इनके वेतन का भुगतान किया गया। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-16	
328/95	7-8-95 : अतारां0-91 श्री ऊदल- श्री मंगला प्रसाद उपाध्याय अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य इण्टर कालेज नेवढ़िया जिला जौनपुर के अवशेष वेतन का भुगतान।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री मंगला प्रसाद उपाध्याय अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य के अवशेष का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और अब कुछ शेष नहीं हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-7

327/95	7-8-95 : अतारां0-90 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- स्वामी सेवानन्द सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर पहरा जनपद शाहजहांपुर को हाई स्कूल की मान्यता दिया जाना।	विचार किया जायेगा।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि स्वामी सेवानन्द सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर पहरा जनपद शाहजहांपुर को हाई स्कूल की मान्यता दि0 13 जनवरी, 1997 को दी जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-9

489/98	7-7-98 : अतारां0-86 श्री जोखू लाल यादव- महानन्द उ0मा0 विद्यालय बद्दू का पुरा हंडिया (इलाहाबाद) में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति।	नियंत्रक के बारे में निर्णय लिया जायेगा।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि तत्कालीन प्रबन्धक को हटाकर श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्ति किया गया किन्तु अपदस्थ प्रबन्धक कोर्ट से स्टे ले आये और अपना कार्यकाल पूरा किया। नई प्रबन्ध समिति ने श्री गंगा प्रसाद मिश्र को प्रबन्धक नियुक्त किया जो कि अपना कार्य कर रहे हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-7

594/98	14-7-98 : तारां0-4 श्री नरेन्द्र सिंह- माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रयोगात्मक परीक्षाओं के परीक्षकों को डी0ए0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि परीक्षकों का डी0ए0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया लेकिन वित्त विभाग ने इसका औचित्य नहीं पाया इसलिये परीक्षकों को डी0ए0 दिया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा-2	
291/99	23-2-99 : अतारां0-87 श्री भरत सिंह- राजकीय कन्या विद्यालय जयप्रकाश नगर बलिया में अध्यापकों की नियुक्ति।	नियुक्ति की जायेगी।	दि0 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 12 अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती कर दी गयी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-7	
605/99	9-3-99 : अतारां0-133 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह- लाल बुलाकीदास महिला इण्टर कालेज तिलहर शाहजहांपुर में प्रधानाचार्या द्वारा विषय विशेषज्ञों के मानदेय का भुगतान न किये जाने की जांच।	स्पष्टीकरण मांगा गया है।	दि0 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विशेषज्ञों के मानदेय की धनराशि का कोई भुगतान शेष नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-2	
850/99	16-3-99 : अतारां0-165 डा0 वकार अहमद शाह- जनपद बहराइच श्रावस्ती के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष एवं 1999 के बोनस का भुगतान।	धन प्राप्त होने पर।	दि0 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान अवशेष एवं बोनस का भुगतान कर दिया गया है। उस अवधि का अब कोई देय शेष नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-7

1097/99	23-3-99 : तारां0-11 श्री उदयराज यादव- निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना हेतु न्यूनतम भूमि सीमा का निर्धारण।	विचाराधीन है।	दि0 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि शासनादेश दि0 25-9-2002 द्वारा शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु 1000 वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हेतु 4000 वर्ग मीटर अथवा एक एकड़ भूमि की सीमा निर्धारित की गई। किन्तु अनुवर्ती शासनादेश दि0 2 जून, 2011 द्वारा भूमि मानकों को पुनः निर्धारित करते हुए शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु 650 वर्ग मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि सीमा निर्धारित की गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-12

1127/99	23-3-99 : अतारां0-146 श्री श्यामदेव राय चौधरी- वाराणसी नगर के हाई स्कूल एवं इण्टर कक्षाओं हेतु रिक्त स्थायी अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति।	नियुक्तियां की जायेगी।	दि0 31-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वाराणसी नगर के कुल 31 सहायता प्राप्त हाई स्कूल/इण्टर कालेजों में 98 मौलिक रूप से शिक्षकों के रिक्त पदों को उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त अभ्यर्थियों से भरे जा चुके हैं। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		शिक्षा अनु0-2	
253/2000	23-8-2002 : नियम-51 श्री राम विशुन आजाद, स0वि0स0- प्रदेश में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता को रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर लाकर विभागीय चयन समिति से भरने की कार्यवाही के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जो बिन्दु आश्वासन का बना था उसे पूरा करने हेतु कार्मिक विभाग और लोक सेवा आयोग के सहमत न होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है चूंकि विभाग ने कार्यवाही करने का प्रयास किया। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		शिक्षा अनुभाग-10	
602/2000	9-5-2000 : अतारां0-162 मा0 चेतराम, स0वि0स0- उ0 प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ के कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दि0 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पुनरीक्षित वेतनमान दि0 01 सितम्बर, 2000 को शासनादेश द्वारा दिया जा चुका है। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा (बेसिक शिक्षा-6 10-3-2011)

108/2001	24-4-01 : अतारां0-131 श्रीमती सीमा द्विवेदी- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को अलग करके पूर्व से प्राप्त पेंशन पदोन्नति एवं मृतक आश्रितों की सेवा आदि मौलिक सुविधाओं को बहाल किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 9-12-2011 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि कार्यरत शिक्षकों को पेंशन का लाभ 20 जनवरी, 2004 में दे दिया गया है। मृतक आश्रित को सेवायोजन का लाभ हेतु शासनादेश दि0 23 जनवरी, 2001 द्वारा व्यवस्था की जा रही है। पदोन्नति के लिये संशोधन अधिसूचना दि0 25-11-2005 से प्रभावी किया जा रहा है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा (बेसिक शिक्षा-10-3-2011)

518/2001	9-5-01 : नियम-51 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- उत्तरांचल राज्य और उ0 प्र0 राज्य की आपस की सहमति के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 13-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा गठित परामर्शी समिति द्वारा दाम्पत्य नीति तथा चिकित्सा/वास्तविक व्यथा के अन्तर्गत की गई संस्तुति के क्रम में उत्तरांचल राज्य से कार्यमुक्त किये गये शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लघु सिंचाई	
117/2001	25-4-01 : तारां0-2 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- प्रदेश में निरन्तर भू-गर्भ जल के स्तर में गिरावट आने से कानून बनाने पर विचार।	जी हां।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नयी नीति तैयार हो गई है और इसे शीघ्र ही कैबिनेट में ले जाया जायेगा। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु सिंचाई	
146/2001	25-3-2001 : अतारां0-97 श्री सौलम अली एडवोकेट- जनपद सीतापुर के खेराबाद स्थित स्टोर में तत्कालीन सहायक अभियन्ता व अन्य द्वारा किये गये गबन की जांच सम्बन्धी कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में श्री लालता प्रसाद को दोषी पाया गया और दि0 28-3-2007 को उनके विरुद्ध शासकीय क्षति के रूप में 9,44,406.69 की वसूली के आदेश पारित हुये। श्री लालता प्रसाद ने इस निर्णय के विरुद्ध मा0 न्यायाधिकरण में गये इस आदेश को क्वैश करा दिया। चूंकि प्रकरण अभी मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लघु सिंचाई

1092/2001	23-5-01 : अतारां0-12 डा0 कौशल किशोर- जिला लखीमपुर में लघु सिंचाई उपखण्ड में 18-25 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही।	जी हां।	दि0 9-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों अपर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण कर दिया गया है। श्री सुधीर कुमार सक्सेना सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा श्री चिंरजीवी लाल जायसवाल जनपद सीतापुर में तैनात हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

लघु सिंचाई

1328/2001	30-5-01 : तारां0-3 श्री राम औतार शाक्य- कृषि उत्पादनकर्ता में निःशुल्क बोरिंग योजना की उपयोगिता को देखते हुए एक लाख बोरिंग प्रति वर्ष कराने के लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इसमें बजट की निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ गई है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लघु सिंचाई	
1348/2001	30-5-01 : शोधन वक्तव्य अनियमित नियुक्ति व शासन को गलत सूचना दिये जाने दोषी अधिशासी अभियन्ता श्री कमला पति वर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री कमलापति वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप सिद्ध न पाये जाने के फलस्वरूप शासन के आदेश दि0 3-9-2001 द्वारा जांच समाप्त की जा चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु सिंचाई	
409/2002	5-9-02 : अतारां0-110 श्री सुल्तान बेग- निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनु0जाति कृषकों को निःशुल्क बोरिंग हेतु सीमा 5 एकड़ भूमि रखने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 3-6-02 पर कार्यवाही।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दि0 13-3-2003 को एक शासनादेश जारी करके अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामलों में न्यूनतम जोत सीमा 0.5 हेक्टेयर के प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लघु सिंचाई

127/2003	9-12-03 : अतारां0-51 श्री दयाशंकर वर्मा- जनपद जालौन में लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं व लिपिकों द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों एवं शासकीय धन का गबन करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-02-03 पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पाये गये दो अधिकारी/कर्मचारी में से एक श्री लक्ष्मी नारायण, कनिष्ठ सहायक की 3 वेतन वृद्धियां अस्थाई रूप से रोकी गई हैं तथा 2007-08 के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है और तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव को भविष्य के लिये सचेत करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

लघु सिंचाई

4/2004	10-2-04 : अतारां0-9 श्री अवधेश कुमार- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई मुख्यालय जवाहर भवन लखनऊ में अनुसूचित जाति के लिपिकों की ज्येष्ठता सूची पदोन्नतियों में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री भुनद्र प्रसाद जिनको दि0 22-10-99 को पदोन्नति करके वरिष्ठ सहायक बनाया गया था, को जांच रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर वेतन का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लघु सिंचाई	
5/2004	10-2-04 : अतारां0-10 श्री राजेन्द्र यादव- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई के कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची के संशोधन के सम्बन्ध में।	परीक्षण किया जा रहा है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दि0 9-9-2005 को संशोधित अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जा चुकी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु सिंचाई	
294/2004	3-8-04 : तारां0-2 श्री राम इकबाल सिंह- भू-गर्भ जल स्तर को उठाने हेतु कृष्णा नदी पर चेकडैम बनवाने के सम्बन्ध में।	निर्माण कराया जा रहा है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कृष्णा नदी पर कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कुल 12 चेकडैम बनाये जा चुके हैं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु सिंचाई	
169/2006	5-12-06 : तारां0-1 श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- रूफटाप हार्वेस्टिंग प्रणाली का सैम्पुल सर्वे कराकर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विभिन्न स्त्रोतों/विभागों से संकलित की गई सूचना के अनुसार 53 शहरों में 517 शासकीय/अर्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की जा चुकी है एवं कार्यवाही निरन्तर रूप से की जा रही है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		लघु सिंचाई-1	
111/2010	9-2-2010 : अतारां0-13 श्री मदन चौहान- प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को रोकने की योजना।	प्रस्तावित है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नई नीति तैयार हो गई है जो शीघ्र ही कैबिनेट में जायेगी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु सिंचाई-3	
21/2011	1-2-2011 : अतारां0-7 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित कराये गये सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराने विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 7-02-13 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में रु0 17871/- की लाइबिलिटी तय की गई। यह धनराशि सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता से वसूल ली गई और उनको प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड भी दिया गया। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
508/2001	09-05-2001 : अतारां0-166 श्री दीप लाल भारती- अवैधानिक रूप से पर्चियां प्राप्त करने वाले कृषकों के खाते एवं गन्ना मूल्य के भुगतान को बन्द करने के सम्बन्ध में किये आदेश का कार्यान्वयन।	आदेश दे दिये गये हैं।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में फर्जी पाये गये तमाम पट्टे कैंसिल किये गये तथा सम्बन्धित कृषकों के विरुद्ध अपराध सं0 31/2001 पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
509/2001	09-05-2001 : अतारां0-169 श्री दीप लाल भारती- प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-02-01 पर कार्यवाही।	विवेचनाधीन है।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन व आ0सं0 508/2001 की एक ही प्रकृति है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग	
870/2001	17-05-2001 : बजट चर्चा चीनी का अधिक उत्पादन करने वाले सहकारी चीनी मिलों, चीनी निगम के कर्मचारियों को पुरस्कृत किये जाने हेतु मासिक उत्पादन प्रोत्साहन योजना तथा दक्षता पुरस्कार के सम्बन्ध में निर्णय।	निर्णय लिया जायेगा।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मा0 गन्ना विकास मंत्री द्वारा उत्कृष्ट दक्षता वाली 3 इकाइयों यथा-सोहनाकलां, चांदपुर, बिजनौर के 3-3 अधिकारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। प्रोत्साहन हेतु उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना-1992 लागू है। तीन चीनी मिलों-स्नेह रोड, रमाला व बेलरायां को दिनांक 20-06-2001 को दक्षता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग	
874/2001	17-05-2001 : बजट चर्चा धामपुर चीनी मिल के प्रदूषण को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि आधुनिक तकनीक के संयंत्र स्थापित किये गये हैं जिससे अब प्रदूषण नहीं हो रहा है, जिसकी पुष्टि विशेष सचिव पर्यावरण ने भी की है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		चीनी उद्योग	
1464/2001	01-06-2001 : वक्तव्य चीनी मिल एवं गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना कृषकों के बीच स्थायित्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यर्पण सम्बन्धी व्यवस्था हेतु लिए गये नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	किया जायेगा।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गन्ना क्षेत्र में बहुत कम परिवर्तन होता है, विशेष परिस्थितियों में थोड़ा/आंशिक परिवर्तन किया जाता है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
55/2002	13-08-2002 : तारां0-2 श्री संजय गर्ग, श्री मूलचन्द्र तथा श्री अवधेश प्रसाद- प्रदेश में वर्ष 2000 से मई 2002 तक गन्ना किसानों का बकाया धनराशि का भुगतान के सम्बन्ध में।	प्रयासरत हैं।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पेराई वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के अन्तर्गत सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, अब इस पेराई सत्र का कोई भुगतान अवशेष नहीं है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
3/2003	04-03-2003 : तारां0-7 श्री शारदा नन्द अंचल- पेराई सत्र 2001-2002 में बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान किया जाना।	प्रयास किये जा रहे हैं।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पेराई सत्र 2000-2001 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य के समस्त भुगतान किये जा चुके हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
252/2004	29-07-2004 : अतारां0-117 श्री अनिल कुमार वर्मा- जनपद सीतापुर में कमलापुर चीनी मिल्स लि0 द्वारा पेराई सत्र 2003-2004 का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कमलापुर चीनी मिल के वर्ष 2003-04 के अवशेष गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान हो चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-2	
254/2004	29-07-2004 : अतारां0-136 श्री राम इकबाल सिंह- सहकारी चीनी मिल लि0 रसड़ा जनपद बलिया में पेराई सत्र 2003-2004 में गन्ना कृषकों को अवशेष बकाये का भुगतान किया जाना।	शीघ्र किया जायेगा।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद बलिया में पेराई सत्र 2003-2004 का 351/- लाख के बकाये का भुगतान कर दिया है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग-3

485/2004	18-11-2004 : अतारां0-85 श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह- सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 गौरी बाजार, देवरिया में की जा रही अनियमितताओं की जांच।	जांच निर्धारित की गयी है।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण सिंह से रु0 6047.50 की धनराशि यात्रा भत्ता मद में ड्रा करने की वसूली दिनांक 22-02-2007 को कर ली गयी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग-3

214/2005	03-03-2005 : अतारां0-41 श्री शिवेन्द्र सिंह- गोरखपुर स्थित धुरियापार सहकारी चीनी मिल पर सिसवा बाजार गन्ना समिति जनपद महराजगंज के गन्ना किसानों का वर्ष 1997-98 का बकाया भुगतान कराया जाना।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद लखीमपुर में स्थित सहकारी चीनी मिल बेलरायां व सम्पूर्णानगर का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
237/2007	31-10-2007 : अतारां0-116 डा0 आर0ए0 उस्मानी- जिला लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	दिनांक 27 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद लखीमपुर की चीनी मिल बेलरायां व सम्पूर्णानगर का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		पिछड़ा वर्ग कल्याण (राष्ट्रीय एकीकरण-1 से स्थाना0 30-01-2006)	
571/1983	11-03-1983 : अल्पसू0तारां0-3 श्री मित्रसेन यादव- मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना।	विचाराधीन है।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया जा चुका है तथा आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		राष्ट्रीय एकीकरण-1	
236/1990	16-06-1990 : अल्पसू0तारां0-2 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री फौजदा प्रसाद तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह- मण्डल आयोग की रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर लागू करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस आश्वासन की प्रकृति तथा आ0सं0-571/83 एक ही प्रकार के हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		पिछड़ा वर्ग कल्याण	
9/1998	28-01-1998 : अतारां0-13 श्री सरवर अली खां, श्री हरदेव सिंह- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की जांच।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की टीम द्वारा इस पत्र के आरोपों की जांच की गयी। इसमें किसी प्रकार के वित्तीय आरोप नहीं पाये गये। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		पिछड़ा वर्ग कल्याण-2	
812/1998	22-07-1998 : तारां0-9 श्री राजेन्द्र यादव- अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों की भांति पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी वर्ग के छात्रों को समान छात्रवृत्ति दिये जाने का शासनादेश एवं नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		पिछड़ा वर्ग कल्याण-1	
903/1999	17-03-1999 : अतारां0-99 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नये वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचाराधीन है।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मंत्री स्तर प्राप्त अध्यक्ष को 40 हजार रुपये, उप मंत्री स्तन प्राप्त उपाध्यक्ष को 35 हजार रुपये तथा सदस्य को 25 हजार रुपये प्रति माह अनुमन्य कराया जा चुका है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पिछड़ा वर्ग कल्याण	
459/2005	20-07-2005 : अतारां0-91 श्री राम बिशुन आजाद- जनपद गोण्डा में कसौधन जाति के व्यक्तियों का पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र तहसीलों द्वारा निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	आख्या प्रतीक्षित है।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 15 दिसम्बर, 2008 को स्पष्टीकरण जारी हो गया है कि कसौधन वैश्य को पिछड़ी जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है लेकिन जो कसौधन जाति के हैं उन्हें पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि 2008 के निर्देश सब जगह भेज दिये जायं।
		पिछड़ा वर्ग कल्याण-2	
685/2005	15-02-2006 : अतारां0-32 श्रीमती राजरानी रावत- पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये गये प्रोजेक्टों का निस्तारण किया जाना।	निराकरणार्थ निदेशालय को वापस किया जायेगा।	दिनांक 30-1-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि कुल 109 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 3 नये प्रस्ताव व 6 पुराने प्रस्ताव कुल 9 प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को वापस किये गये तथा 100 प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु जिलों को वापस प्रेषित कर दिये गये हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-1

108/2008	26-02-2008 : अतारां0-08 श्री अनूप सण्डा- वक्फ नं0-42-ए, फरीदी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ को लीज पर देने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल रज्जाक खां, सदस्य, सुन्नी वक्फ बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही विचाराधीन है।	दिनांक 22-07-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि बोर्ड के सर्किल इन्सपेक्टर की जांच आख्या 07-11-2013 से स्पष्ट है कि श्री अब्दुल रज्जाक खां, सदस्य द्वारा दी गयी लीज की अवधि दिनांक 09-09-2008 को समाप्त हो चुकी है तथा श्री खां की सदस्यता वर्ष 2009 में समाप्त हो गयी है। वर्तमान में फरीदी बिल्डिंग को देना बैंक को किराये पर दिया गया है, जिसका किराया रु0 75000/- माहवार है, जो वक्फ के एकाउण्ट में जमा हो जाता है जिसको वक्फ की धाराओं के अनुसार अधिकतर वाकिफ के परिवार पर खर्च की जाती है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2

204/2012	02-07-2012 : अतारां0-74 श्री सुरेश कुमार खन्ना- शाहजहांपुर में वक्फ सम्पत्ति 42-ए की अनियमित बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में।	कोशिश की जा रही है।	दिनांक 22-07-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वक्फ सं0-42-ए के अवैध बैनामे के निरस्त के लिये श्री इम्तियाज अली खां, अध्यक्ष कमेटी, शाहजहांपुर द्वारा ट्रिब्यूनल वक्फ (सी0डी0) शाहजहांपुर में वाद सं0-969/2013 दायर किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2	
112/2013	11-03-2013 : अतारां0-13 श्री बाला प्रसाद अवस्थी- जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।	निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जाना है।	दिनांक 22-07-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में मोहम्मदी के शहरी क्षेत्रों के 18 कब्रिस्तानों पर बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 8 कब्रिस्तानों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 15 का चयन हुआ है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-7	
116/2013	11-03-2013 : अतारां0-46 श्री डा0 मुहम्मद अयूब- प्रदेश में अरबी फारसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त अवशेष मदरसों/स्कूलों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।	यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 22-07-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 146 मदरसों को अनुदानित करने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है। उसी की प्रक्रिया चल रही है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पशुधन-1

160/2000 9/2010 170/2010 173/2010 77/2011	06-04-2000 : अतारां0-16 श्री नरेन्द्र सिंह- पशुधन-1 28-01-2010 : अतारां0-125 डा0 अजय तोमर- पशुधन-1 11-02-2010 : अतारां0-74 श्री आरिफ अनवर हाशमी- पशुधन-2 11-02-2010 : अतारां0-153 डा0 अजय तोमर- पशुधन-1 17-02-2011 : अतारां0-64 श्री आरिफ अनवर हाशमी- प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में नियमित डाक्टरों की नियुक्ति।	नियुक्तियां की जायेंगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रिक्रूटमेन्ट होकर लगभग 2200 डाक्टर आये हैं तथा हास्पिटल भी लगभग 2200 हैं। 300 डाक्टरों का गैप है, इसके लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि जहां पर डाक्टर तैनात नहीं हैं वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर इन्हें अटैच कर दिया जाय।

1	2	3	4
		पशुधन-2	
355/2008	21-08-2008 : अतारां0-158 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण कराया जाना।	निर्माण कराये जा सकेंगे।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण अतरौरा पशु सेवा केन्द्र का कार्य पूर्ण न कराया जा सका। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि रु0 435.69 लाख की बजट व्यवस्था करायी जा रही है। अतः समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि अतरौरा का पुनर्निर्माण कराकर समिति को सूचित करें।
		पशुधन-2	
06/2009	12-02-09 : अतारां0-77 श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही- जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता में स्थापित पशु चिकित्सालयों में स्टाफ की तैनाती किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय अगौता ओलीना रुसवाना, पिपाला बोढरा एवं भटौना तथा विकास खण्ड बी0वी0 नगर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय बी0वी0 नगर, लाडपुर, चितसौना अलीपुर एवं परतापुर स्थापित है। वर्तमान में ओलीना में डाक्टर नहीं है। ओलीना में निकट वाला काम देख रहा है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में बैन के कारण हर हास्पिटल में 2 के स्थान पर 1 चतुर्थ श्रेणी से सबका काम चल जाता है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि ओलीना के डाक्टर को प्रायोरिटी बेस पर पोस्ट कराया जाय।

पशुधन-1

18/2009	12-02-09 : अतारां0-156 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पशु सेवा केन्द्र डी श्रेणी के चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों में अन्य स्टाफ की तैनाती।	यथाशीघ्र पूरी की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी में पशु सेवा केन्द्र में स्थापित 02 'द' श्रेणी के पशु औषधालय तथा 8 पशु सेवा केन्द्रों पर पशुधन प्रसार अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पशुधन-2

64/2009	12-02-09 : अतारां0-63 श्री आलोक कुमार- मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित करने के सम्बन्ध में	सृजन होने के उपरान्त।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद मैनपुरी में 7 पशु सेवा केन्द्रों में 7 जगहों पर पशु प्रसार अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अतः समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पशुधन-1	
05/2010	28-01-2010 : अतारां0-63 डा0 अनिल चौधरी- जनपद महामायानगर के तहसील सादाबाद के पशु चिकित्सालय पर मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	पदस्थापना की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पशु केन्द्र गढ़ावज में दि0 29-06-2015 को पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात कर दिया गया है और वह कार्यरत है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		पशुधन-1	
280/2010	12-08-2010 : अतारां0-39 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर के पशु चिकित्सालय में पशुधन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।	तैनाती कर दी जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शाहजहांपुर के पशु सेवा केन्द्र में पशुधन प्रसार अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पशुधन-

287/2010	12-08-2010 : अतारां0-98 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद फतेहपुर वि0ख0 ऐराया व हथग्राम में रिक्त चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के पदों पर नियुक्ति किया जाना।	नियुक्ति कर दी जायेगी	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि फतेहपुर के विकास खण्ड ऐराया व हथग्राम में स्थापित पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक एवं वेटनरी फार्मासिस्ट तैनात होकर कार्यरत हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पशुधन-1

294/2010	12-08-2010 : अतारां0-182 श्री अरविन्द सिंह यादव- जनपद कन्नौज के ब्लाक तालग्राम के ग्राम निजामपुर में पशु चिकित्सालय में स्टाफ की तैनाती किया जाना।	तैनाती की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद कन्नौज के ब्लाक तालग्राम के पशु चिकित्सालय निजामपुर में पशु चिकित्साधिकारी एवं वेटनरी फार्मासिस्ट तैनात होकर कार्यरत हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पशुधन-1	
265/2012	27-11-2012 : अतारां0-29 श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत- जनपद झांसी के बबीना वि0स0 क्षेत्र के विकास खण्ड चिरगांव बड़ागांव बबीना में पशु चिकित्सालयों में डाक्टर उपलब्ध कराने विषयक।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी के सृजित सभी पदों के सापेक्ष पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात होकर कार्यरत हैं। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		पशुधन-2	
36/2013	26-2-2013 : तारां0-07 डा0 धर्मपाल सिंह- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिये पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में।	व्यवस्था उपलब्ध है।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश की सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उपलब्ध बजट एवं मानक के अनुसार नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं। 9 किलोमीटर के रेडियस पर 15000 पशुओं के लिये एक हास्पिटल होता है और वह पर्याप्त है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पशुधन-1

67/2014	24-6-2014 : अतारां0-71 श्री बाला प्रसाद अवस्थी- जनपद लखीमपुर खीरी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में।	विचार किया जायेगा।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद लखीमपुर खीरी के पशु चिकित्सा अधिकारियों के कुल 45 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 42 पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात होकर कार्यरत हैं।

पशुधन-1

39/2015	24-02-2015 : तारां0-5 श्री सतीश महाना- प्रदेश में पशुओं की अवैध कटान रोकने हेतु सख्त कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2013 में गो-वध के 113 अभियुक्तों में से 28 के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट तथा 22 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2014 में 95 अभियुक्तों में 29 के खिलाफ गैंगेस्टर तथा 42 के खिलाफ गुण्डा ऐक्ट के तहत तथा माह जुलाई, 2015 तक 21 अभियुक्तों में से 7 के खिलाफ गैंगेस्टर तथा 10 के खिलाफ गुण्डा ऐक्ट के तहत कार्यवाही की गई। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पशुधन-1	
77/2015	03-03-2015 : तारां0-01 श्री लोकेन्द्र सिंह- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में कमी तथा पशु वधशालाओं में अवैध पशु वध रोके जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विजेन्द्र सिंह थाना प्रभारी गंगोह ने अभियुक्तगण तौसीन पुत्र शादीन तथा अन्य पर मु0अ0सं0-80/15-11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम एवं 428/429/413 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत तीन ट्रकों में 47 ऊंटों को भरकर कटान के लिये ले जाते समय पंजीकृत कराया गया। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		पशुधन-1	
108/2015	10-3-2015 : अतारां0-25 श्री रामचन्द्र यादव- पशु चिकित्साधिकारियों की निजी प्रैक्टिस को समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	दिनांक 05-08-2015 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि निजी प्रैक्टिस के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि निजी प्रैक्टिस करने की छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निजी प्रैक्टिस ड्यूटी के समय नहीं की जायेगी तथा शासकीय कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पी0एस0यू0पी0-75 एल0ए0 (112) 13-07-2016-650 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।